



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

पत्रांक सं०- 21 / स०का० / 2025

दिनांक- 01/02/2025

कैण्टीन आवंटन सम्बंधी नीलामी सूचना

माननीय कुलपति जी के स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय के आदेश सं० 955/स०का०/2024 के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित निम्नलिखित कैण्टीन स्थल/स्टेशनरी स्थल का आवंटन किया जाना है -

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. भूगोल विभाग के पश्चिम स्थित स्टेशनरी स्थल | - | GEM/AUCTION ID - 18279 |
| 2. दीक्षा भवन स्थित कैण्टीन | - | GEM/AUCTION ID - 18281 |
| 3. प्रशासकीय भवन स्थित कैण्टीन | - | GEM/AUCTION ID - 18280 |
| 4. क्रीड़ा परिषद भवन के बगल में स्थित बड़ी कैण्टीन | - | GEM/AUCTION ID - 18282 |

उपरोक्त कैण्टीनों एवं स्टेशनरी के स्थल का आवंटन जेम पोर्टल पर नीलामी निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया गया है, जो जेम पोर्टल पर दिनांक 29.01.2025 से अपलोड है। उक्त स्थल के आवंटन से सम्बंधित समस्त नियम शर्तें जेम पोर्टल एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in पर अपलोड उपलब्ध है। उक्त सभी प्रकार की आवंटन नीलामी निविदा की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 सायं: 6 बजे तक है।

प्रभारी सपत्ति कार्यालय

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलसचिव, दी.द.उ.गो.वि.वि०.गोरखपुर।
2. समन्वयक आई.टी.सी. सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करे।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

नीलामी निविदा (आक्सन बिड)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में निम्नांकित जलपान-गृह (कैंटीन) के संचालन हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है :-

1. क्रीड़ा परिषद भवन के बगल में स्थित कैंटीन

<http://Gem.gov.in> पर online कैंटीन नीलामी निविदा (आक्सन बिड)

की नियम व शर्तें

1. कैंटीन के संचालन हेतु निविदादाता को कैंटीन के सम्मुख अंकित ई०एम०डी० की धनराशि निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट वित्तअधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम करना होगा। ई०एम०डी० की धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र०सं०	कैंटीन का नाम	ई०एम०डी० धनराशि	धरोहर धनराशि
1	क्रीड़ा परिषद भवन के बगल में स्थित कैंटीन	30,000/-	

2. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित करने एवं उपरोक्त तालिका अनुसार धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ई०एम०डी० की धनराशि वापस कर दी जायेगी। असफल निविदादाताओं की ई०एम०डी० की धनराशि निविदा के अंतिमीकरण के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
3. फर्म/एजेन्सी ठेकेदार का लेबर एक्ट, PF कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. व्यापार कर अधिकारी द्वारा निविदाकर्ता फर्म को निर्गत GST नम्बर एवं GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निर्धारित किराये के साथ बिजली व पानी का बिल अलग से नीलामी दाता द्वारा जमा किया जायेगा।
6. अधिकतम दरे प्रस्तुत करने वाले व इस निविदा के समस्त नियमों एवं शर्तों का भलीभाँति पालन करने वाले निविदादाता को ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
7. निविदा कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम संदर्भित होगी।
8. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को जमा करना आवश्यक होगा, इन प्रपत्रों के अभाव में उनकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

I - GST रजिस्ट्रेशन

II - एफ०एस०एस०ए०आई० का फूड क्वालिटी का लाइसेंस होना अनिवार्य है

III - पिछले 3 वर्षों का ITR

IV - किसी भी प्रकार के कैंटीन/रसोई संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।

9. निविदादाता की दरों का निविदा में प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संबंध में निविदादाता की कोई भी अतिरिक्त शर्तें मान्य नहीं होगी।
10. विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
11. तम्बाकू, गुटखा, मादक पदार्थ इत्यादि विक्रय नहीं किये जायेंगे, और पाये जाने पर कैंटीन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०) Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

12. निविदादाता का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने अथवा कैटीन में साफ-सफाई न रहने पर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निविदादाता को एक सप्ताह की नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं तथा निविदादाता की धरोहर धनराशि भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जायेगी, साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
13. कैटीन की सफाई व कूड़ा-निस्तारण आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
14. मेन्टीनेन्स (रख-रखाव) का खर्च फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
15. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग द्वारा पंजीयन होना चाहिए एवं उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी कबड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर की अनुमति के बिना निविदादाता द्वारा निविदा स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।
17. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर दे।
18. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय अंतिम होगा।
19. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर वित्त अधिकारी से निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करते हुए रु० 100.00 के न्यायिक स्टाम्प प्रपत्र पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
20. सफल निविदादाता को कैटीन का 6 माह का किराया पूर्व में ही जमा करना आवश्यक होगा।
21. सफल निविदादाता को अपने समस्त कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण-पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
22. सफल निविदादाता के कैटीन कर्मचारियों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निर्धारित स्वच्छ वर्दी धारण की जानी होगी।
23. निविदा की अवधि 03 वर्ष होगी, जो प्रत्येक वर्ष संतोष जनक सेवा पाये जाने पर अगले वर्ष हेतु विस्तारित की जायेगी।
24. निविदा में स्वीकृत दर में प्रथम वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
25. एम.एस.एम.ई/स्टार्ट अप को वरीयता दी जायेगी।
26. निविदादाता को निविदा के साथ मीनू एवं दरों का विवरण भी अपलोड करना होगा।
27. निविदादाता का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्वयं का कार्यालय होना अनिवार्य है।
28. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र गोरखपुर न्यायलय का होगा।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

नीलामी निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत है

2. फर्म का नाम :-
3. फर्म का पंजीकृत पता :-
4. फर्म का स्थानीय पता :-
5. प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम :-
6. पैन कार्ड संख्या :-
7. जी.एस.टी. संख्या :-
8. एफ.एस.एस.ए.आई. रजिस्ट्रेशन संख्या :-
9. पिछले 3 वर्षों का आई.टी.आर. :-
10. किसी भी प्रकार के कैंटीन/रसोई संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव :-
11. ई.एम.डी. के बैंक ड्राफ्ट का विवरण :-

मेरे द्वारा निविदा के सभी नियमों एवं शर्तों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है। मुझे निविदा की सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है। मेरे द्वारा कार्यदेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर अनुबंध पत्र सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ कर कदया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर फर्म की सील सहित	
निविदादाता का पूरा नाम :	
निविदादाता की फर्म का नाम:	
पूर्ण पंजीकृत पता :	
निविदादाता का मोबाइल सं० (1) :	
निविदादाता का मोबाइल सं० (2) :	

2



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

32

नीलामी निविदा (आक्सन बिड)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में स्टेशनरी के संचालन हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

1. भूगोल विभाग के पश्चिम स्थित स्टेशनरी

<http://Gem.gov.in> पर online स्टेशनरी नीलामी निविदा (आक्सन बिड)

की नियम व शर्तें

1. स्टेशनरी के संचालन हेतु निविदादाता को स्टेशनरी के सम्मुख अंकित ई०एम०डी० की धनराशि निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट वित्तअधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम करना होगा। ई०एम०डी० की धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र०सं०	स्टेशनरी का नाम	ई०एम०डी० धनराशि	धरोहर धनराशि
1	भूगोल विभाग के पश्चिम स्थित स्टेशनरी	18,000/-	

2. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित करने एवं उपरोक्त तालिका अनुसार धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ई०एम०डी० की धनराशि वापस कर दी जायेगी। असफल निविदादाताओं की ई०एम०डी० की धनराशि निविदा के अंतिमीकरण के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
3. फर्म/एजेन्सी टेकेदार का लेबर एक्ट, PF कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. व्यापार कर अधिकारी द्वारा निविदाकर्ता फर्म को निर्गत GST नम्बर एवं GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निर्धारित किराये के साथ बिजली व पानी का बिल अलग से नीलामी दाता द्वारा जमा किया जायेगा।
6. अधिकतम दरे प्रस्तुत करने वाले व इस निविदा के समस्त नियमों एवं शर्तों का भलीभाँति पालन करने वाले निविदादाता को ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
7. निविदा कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम संदर्भित होगी।
8. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को जमा करना आवश्यक होगा, इन प्रपत्रों के अभाव में उनकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

I - GST रजिस्ट्रेशन

II - पिछले 3 वर्षों का ITR

III - स्टेशनरी संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।

9. निविदादाता की दरों का निविदा में प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संबंध में निविदादाता की कोई भी अतिरिक्त शर्तें मान्य नहीं होगी।
10. विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

11. निविदादाता का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने अथवा ~~कैंटीन~~ में साफ-सफाई न रहने पर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निविदादाता को एक सप्ताह की नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है तथा निविदादाता की धरोहर धनराशि भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जायेगी, साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
12. मेन्टीनेन्स (रख-रखाव) का खर्च फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
13. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग द्वारा पंजीयन होना चाहिए एवं उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी कबड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर की अनुमति के बिना निविदादाता द्वारा निविदा स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।
15. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर दे।
16. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय अंतिम होगा।
17. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर वित्त अधिकारी से निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करते हुए रु० 100.00 के न्यायिक स्टाम्प प्रपत्र पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
18. सफल निविदादाता को कैंटीन का 6 माह का किराया पूर्व में ही जमा करना आवश्यक होगा।
19. सफल निविदादाता को अपने समस्त कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण-पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा की अवधि 03 वर्ष होगी, जो प्रत्येक वर्ष संतोष जनक सेवा पाये जाने पर अगले वर्ष हेतु विस्तारित की जायेगी।
21. निविदा में स्वीकृत दर में प्रथम वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
22. एम.एस.एम.ई/स्टार्ट अप को वरीयता दी जायेगी।
23. निविदादाता का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्वयं का कार्यालय होना अनिवार्य है।
24. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र गोरखपुर न्यायलय का होगा।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

11. निविदादाता का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने अथवा के.मे.साफ-सफाई न रहने पर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निविदादाता को एक सप्ताह की नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है तथा निविदादाता की धरोहर धनराशि भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जायेगी, साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
12. मेन्टीनेन्स (रख-रखाव) का खर्च फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
13. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग द्वारा पंजीयन होना चाहिए एवं उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी कबड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर की अनुमति के बिना निविदादाता द्वारा निविदा स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।
15. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर दे।
16. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय अंतिम होगा।
17. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर वित्त अधिकारी से निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करते हुए रु० 100.00 के न्यायिक स्टाम्प प्रपत्र पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
18. सफल निविदादाता को व. 6 माह का किराया पूर्व में ही जमा करना आवश्यक होगा।
19. सफल निविदादाता को अपने समस्त कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण-पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा की अवधि 03 वर्ष होगी, जो प्रत्येक वर्ष संतोष जनक सेवा पाये जाने पर अगले वर्ष हेतु विस्तारित की जायेगी।
21. निविदा में स्वीकृत दर में प्रथम वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
22. एम.एस.एम.ई/स्टार्ट अप को वरीयता दी जायेगी।
23. निविदादाता का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्वयं का कार्यालय होना अनिवार्य है।
24. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र गोरखपुर न्यायलय का होगा।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

11. निविदादाता का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने अथवा ~~मे~~ साफ-सफाई न रहने पर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निविदादाता को एक सप्ताह की नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं तथा निविदादाता की धरोहर धनराशि भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जायेगी, साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
12. मेन्टीनेन्स (रख-रखाव) का खर्च फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
13. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग द्वारा पंजीयन होना चाहिए एवं उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी कबड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर की अनुमति के बिना निविदादाता द्वारा निविदा स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।
15. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर दे।
16. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय अंतिम होगा।
17. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर वित्त अधिकारी से निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करते हुए रु० 100.00 के न्यायिक स्टाम्प प्रपत्र पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
18. सफल निविदादाता को ~~के~~ का 6 माह का किराया पूर्व में ही जमा करना आवश्यक होगा।
19. सफल निविदादाता को अपने समस्त कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण-पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा की अवधि 03 वर्ष होगी, जो प्रत्येक वर्ष संतोष जनक सेवा पाये जाने पर अगले वर्ष हेतु विस्तारित की जायेगी।
21. निविदा में स्वीकृत दर में प्रथम वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
22. एम.एस.एम.ई/स्टार्ट अप को वरीयता दी जायेगी।
23. निविदादाता का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्वयं का कार्यालय होना अनिवार्य है।
24. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र गोरखपुर न्यायलय का होगा।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

नीलामी निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत है

1. फर्म का नाम :-
2. फर्म का पंजीकृत पता :-
3. फर्म का स्थानीय पता :-
4. प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम :-
5. पैन कार्ड संख्या :-
6. जी.एस.टी. संख्या :-
7. पिछले 3 वर्षों का आई.टी.आर. :-
8. सम्बंधित कार्य के संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव :-
9. ई.एम.डी. के बैंक ड्राफ्ट का विवरण :-

मेरे द्वारा निविदा के सभी नियमों एवं शर्तों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है। मुझे निविदा की सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं। मेरे द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर अनुबंध पत्र सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ कर कदया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर फर्म की सील सहित	
निविदादाता का पूरा नाम :	
निविदादाता की फर्म का नाम:	
पूर्ण पंजीकृत पता :	
निविदादाता का मोबाइल सं० (1) :	
निविदादाता का मोबाइल सं० (2) :	



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

29

नीलामी निविदा (आक्सन बिड)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में निम्नांकित जलपान-गृह (कैंटीन) के संचालन हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

1. दीक्षा भवन स्थित कैंटीन

<http://Gem.gov.in> पर online कैंटीन नीलामी निविदा (आक्सन बिड)

की नियम व शर्तें

1. कैंटीन के संचालन हेतु निविदादाता को कैंटीन के सम्मुख अंकित ई0एम0डी0 की धनराशि निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट वित्तअधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम करना होगा। ई0एम0डी0 की धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र०सं०	कैंटीन का नाम	ई0एम0डी0 धनराशि	धरोहर धनराशि
1	दीक्षा भवन स्थित कैंटीन	18,000/-	

2. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित करने एवं उपरोक्त तालिका अनुसार धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ई0एम0डी0 की धनराशि वापस कर दी जायेगी। असफल निविदादाताओं की ई0एम0डी0 की धनराशि निविदा के अंतिमीकरण के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
3. फर्म/एजेन्सी ठेकेदार का लेबर एक्ट, PF कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. व्यापार कर अधिकारी द्वारा निविदाकर्ता फर्म को निर्गत GST नम्बर एवं GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निर्धारित किराये के साथ बिजली व पानी का बिल अलग से नीलामी दाता द्वारा जमा किया जायेगा।
6. अधिकतम दरे प्रस्तुत करने वाले व इस निविदा के समस्त नियमों एवं शर्तों का भलीभाँति पालन करने वाले निविदादाता को ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
7. निविदा कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम संदर्भित होगी।
8. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को जमा करना आवश्यक होगा, इन प्रपत्रों के अभाव में उनकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

I - GST रजिस्ट्रेशन

II - एफ0एस0एस0ए0आई0 का फूड क्वालिटी का लाइसेंस होना अनिवार्य है

III - पिछले 3 वर्षों का ITR

IV - किसी भी प्रकार के कैंटीन/रसोई संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।

9. निविदादाता की दरों का निविदा में प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संबंध में निविदादाता की कोई भी अतिरिक्त शर्तें मान्य नहीं होगी।
10. विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

28

11. तम्बाकू, गुटखा, मादक पदार्थ इत्यादि विक्रय नहीं किये जायेंगे, और पाये जाने पर कैन्टीन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. निविदादाता का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने अथवा कैन्टीन में साफ-सफाई न रहने पर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निविदादाता को एक सप्ताह की नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं तथा निविदादाता की धरोहर धनराशि भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जायेगी, साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
13. कैन्टीन की सफाई व कूड़ा-निस्तारण आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
14. मेन्टीनेन्स (रख-रखाव) का खर्च फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
15. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग द्वारा पंजीयन होना चाहिए एवं उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी कबड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर की अनुमति के बिना निविदादाता द्वारा निविदा स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।
17. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर दे।
18. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय अंतिम होगा।
19. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर वित्त अधिकारी से निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करते हुए रु० 100.00 के न्यायिक स्टाम्प प्रपत्र पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
20. सफल निविदादाता को कैन्टीन का 6 माह का किराया पूर्व में ही जमा करना आवश्यक होगा।
21. सफल निविदादाता को अपने समस्त कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण-पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
22. सफल निविदादाता के कैन्टीन कर्मचारियों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निर्धारित स्वच्छ वर्दी धारण की जानी होगी।
23. निविदा की अवधि 03 वर्ष होगी, जो प्रत्येक वर्ष संतोष जनक सेवा पाये जाने पर अगले वर्ष हेतु विस्तारित की जायेगी।
24. निविदा में स्वीकृत दर में प्रथम वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
25. एम.एस.एम.ई/स्टार्ट अप को वरीयता दी जायेगी।
26. निविदादाता को निविदा के साथ मीनू एवं दरों का विवरण भी अपलोड करना होगा।
27. निविदादाता का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्वयं का कार्यालय होना अनिवार्य है।
28. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र गोरखपुर न्यायलय का होगा।



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

नीलामी निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत है

1. फर्म का नाम :-
2. फर्म का पंजीकृत पता :-
3. फर्म का स्थानीय पता :-
4. प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम :-
5. पैन कार्ड संख्या :-
6. जी.एस.टी. संख्या :-
7. पिछले 3 वर्षों का आई.टी.आर. :-
8. सम्बंधित कार्य के संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव :-
9. ई.एम.डी. के बैंक ड्राफ्ट का विवरण :-

मेरे द्वारा निविदा के सभी नियमों एवं शर्तों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है। मुझे निविदा की सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है। मेरे द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर अनुबंध पत्र सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ कर कदया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर फर्म की सील सहित	
निविदादाता का पूरा नाम :	
निविदादाता की फर्म का नाम:	
पूर्ण पंजीकृत पता :	
निविदादाता का मोबाइल सं० (1) :	
निविदादाता का मोबाइल सं० (2) :	

22



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०) Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर परिसर में निम्नांकित जलपान-गृह (कैंटीन) के संचालन हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

1. प्रशासकीय भवन स्थित कैंटीन

<http://Gem.gov.in> पर online कैंटीन नीलामी निविदा (आक्सन बिड)

की नियम व शर्तें

1. कैंटीन के संचालन हेतु निविदादाता को कैंटीन के सम्मुख अंकित ई०एम०डी० की धनराशि निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। जिसका बैंक ड्राफ्ट वित्तअधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम करना होगा। ई०एम०डी० की धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र०सं०	कैंटीन का नाम	ई०एम०डी० धनराशि	धरोहर धनराशि
1	प्रशासकीय भवन स्थित कैंटीन	24,000/-	

2. सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित करने एवं उपरोक्त तालिका अनुसार धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त ई०एम०डी० की धनराशि वापस कर दी जायेगी। असफल निविदादाताओं की ई०एम०डी० की धनराशि निविदा के अंतिमीकरण के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
3. फर्म/एजेन्सी ठेकेदार का लेबर एक्ट, PF कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. व्यापार कर अधिकारी द्वारा निविदाकर्ता फर्म को निर्गत GST नम्बर एवं GST पंजीकरण प्रमाण-पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निर्धारित किराये के साथ बिजली व पानी का बिल अलग से नीलामी दाता द्वारा जमा किया जायेगा।
6. अधिकतम दरे प्रस्तुत करने वाले व इस निविदा के समस्त नियमों एवं शर्तों का भलीभाँति पालन करने वाले निविदादाता को ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा कार्यदेश निर्गत किया जायेगा।
7. निविदा कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर के नाम संदर्भित होगी।
8. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित प्रपत्रों को जमा करना आवश्यक होगा, इन प्रपत्रों के अभाव में उनकी निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

I - GST रजिस्ट्रेशन

II - एफ०एस०एस०ए०आई० का फूड क्वालिटी का लाइसेंस होना अनिवार्य है

III - पिछले 3 वर्षों का ITR

IV - किसी भी प्रकार के कैंटीन/रसोई संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।

9. निविदादाता की दरों का निविदा में प्रथम बार में ही स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। दरों के संबंध में निविदादाता की कोई भी अतिरिक्त शर्तें मान्य नहीं होगी।
10. विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
11. तम्बाकू, गुटखा, मादक पदार्थ इत्यादि विक्रय नहीं किये जायेंगे, और पाये जाने पर कैंटीन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. निविदादाता का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने अथवा कैंटीन में साफ-सफाई न रहने पर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निविदादाता को एक सप्ताह की नोटिस देकर उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं तथा निविदादाता की धरोहर धनराशि भी





दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

25

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जायेगी, साथ ही निविदादाता को काली सूची में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

13. कैंटीन की सफाई व कूड़ा- निस्तारण आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
14. मेन्टीनेन्स (रख-रखाव) का खर्च फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।
15. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग द्वारा पंजीयन होना चाहिए एवं उक्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति तकनीकी कबड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर की अनुमति के बिना निविदादाता द्वारा निविदा स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।
17. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर दे।
18. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के संबंध में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय अंतिम होगा।
19. सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर वित्त अधिकारी से निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करते हुए रु० 100.00 के न्यायिक स्टाम्प प्रपत्र पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
20. सफल निविदादाता को कैंटीन का 6 माह का किराया पूर्व में ही जमा करना आवश्यक होगा।
21. सफल निविदादाता को अपने समस्त कर्मचारियों का चरित्र प्रमाण-पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
22. सफल निविदादाता के कैंटीन कर्मचारियों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रशासन द्वारा निर्धारित स्वच्छ वर्दी धारण की जानी होगी।
23. निविदा की अवधि 03 वर्ष होगी, जो प्रत्येक वर्ष संतोष जनक सेवा पाये जाने पर अगले वर्ष हेतु विस्तारित की जायेगी।
24. निविदा में स्वीकृत दर में प्रथम वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
25. एम.एस.एम.ई/स्टार्ट अप को वरीयता दी जायेगी।
26. निविदादाता को निविदा के साथ मीनू एवं दरों का विवरण भी अपलोड करना होगा।
27. निविदादाता का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्वयं का कार्यालय होना अनिवार्य है।
28. किसी वाद-विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र गोरखपुर न्यायलय का होगा।



नीलामी निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत है

1. फर्म का नाम :-
2. फर्म का पंजीकृत पता :-
3. फर्म का स्थानीय पता :-
4. प्रोपराइटर/पार्टनर का नाम :-
5. पैन कार्ड संख्या :-
6. जी.एस.टी. संख्या :-
7. एफ.एस.एस.ए.आई. रजिस्ट्रेशन संख्या :-
8. पिछले 3 वर्षों का आई.टी.आर. :-
9. किसी भी प्रकार के कैंटीन/रसोई संचालन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव :-
10. ई.एम.डी. के बैंक ड्राफ्ट का विवरण :-

मेरे द्वारा निविदा के सभी नियमों एवं शर्तों का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है। मुझे निविदा की सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं। मेरे द्वारा कार्यादेश निर्गत होने के 07 दिन के अन्दर अनुबंध पत्र सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ कर कदया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर फर्म की सील सहित	
निविदादाता का पूरा नाम :	
निविदादाता की फर्म का नाम:	
पूर्ण पंजीकृत पता :	
निविदादाता का मोबाइल सं० (1) :	
निविदादाता का मोबाइल सं० (2) :	